

I/15945/2022

बिहार सरकार
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
(ग्रामीण विकास विभाग)

दिनांक--:13/01/2022

प्रेषक,

सी०पी०खंडूजा,
आयुक्त मनरेगा।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार।

विषय:

महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के श्रम बजट एवं वार्षिक कार्य योजना का निर्माण ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)- "सबकी योजना सबका विकास" के तहत GPDP निर्माण हेतु आयोजित होने वाले ग्राम सभा को स्थगित करने के संबंध में।

प्रसंग:

पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक 2 प/GPDP-18-01/2018/(खण्ड) 207/पं०रा०, दिनांक 0701.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयाधीन प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है की BRDS के पत्रांक I/15196/2021, दिनांक 29.12.2021 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट तैयार करने तथा उक्त के अनुमोदन हेतु कोविड प्रोटोकॉल का दृढ़ता से पालन करते हुए वार्ड/ग्राम सभा आयोजित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जिलो को उपलब्ध कराये गये हैं। इसी क्रम में पंचायती राज विभाग के प्रासंगिक पत्र के द्वारा कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी आने के कारण PPC- 2021 "सबकी योजना सबका विकास" के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण हेतु आयोजित होने वाले ग्राम सभा को स्थगित करने के संबंध में निदेश प्राप्त हुआ है।

अतः पंचायती राज विभाग के प्रासंगिक पत्र के द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के "सबकी योजना सबका विकास" के तहत तैयार महात्मा गाँधी नरेगा के वित्तीय वर्ष 2022-23 के श्रम बजट एवं वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन ग्राम पंचायत की बैठक आहूत कर प्राप्त कर श्रम बजट को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड करते हुए अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय एवं कोविड संक्रमण की स्थिति सामान्य होने उपरांत आयोजित होनेवाली ग्राम सभा की बैठक में उक्त की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

विश्वासभाजन,

Signed by C P Khanduja

Date: 13-01-2022 17:11:15

Reason: Approved (सी०पी०खंडूजा)
आयुक्त, मनरेगा।

प्रतिलिपि:-

1. सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आस सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आस सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

पत्रांक-2प/GPDP-18-01/2018/(खण्ड).....207...../पं0रा0

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
उप सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

दिनांक-...7.../...01.../2022

विषय:- PPC -2021 "सबकी योजना सबका विकास" के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण हेतु आयोजित होने वाले ग्राम सभा को स्थगित करने के संबंध में।

प्रसंग:- गृह विभाग का पत्रांक 38 दिनांक 04.01.2022

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा कोरोना संक्रमण के मामले के तेजी आने फलस्वरूप सार्वजनिक समारोह के आयोजन पर सशर्त प्रतिबंध लगाया गया है। विदित हो कि ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार किये जाने के लिए आयोजित ग्राम सभा में ग्राम पंचायतों के कुल मतदाताओं का 10 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवश्यक बताया गया है। ग्राम सभा में भाग लेने की सदस्यों की संख्या अधिक होने से कोरोना संक्रमण का वेग तीव्र हो सकता है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्मित करने हेतु आयोजित होने वाले ग्राम सभा को तत्काल स्थगित किये जाने हेतु सभी संबंधितों को निदेशित करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक:-यथाउपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)

उप सचिव

ज्ञापांक : 2प/GPDP-18-01/2018/(खण्ड).....207...../पं0रा0,पटना दिनांक7.../...01.../2022

प्रतिलिपि : सभी उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/ सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

उप सचिव